शिक्षा के अधिकार कानून का यथार्थ
एक विवेचना

सुनीता सिंह*

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई.एक्ट, 2009) के लागू होने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा का शैक्षिक स्तर कहाँ तक पहुँचा है, इस यथार्थ को जानने के लिए इस शोध का चयन किया गया था। अधिनियम के लागू होने के बाद निस्संदेह बच्चों के लिए साक्षर, अधिकार संपन्न, मज़बूत बनने के रास्ते खुले हैं, किंतु पिछले सात दशकों के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण एवं न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित शैक्षणिक गुणवत्ता के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। इस शोध अध्ययन हेतु शोधिका द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर ज़िले के पाँच प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर शोध अध्ययन किया गया। इस शोध अध्ययन में शोधिका द्वारा स्वयं चयनित विद्यालयों का अवलोकन कर तथ्य एकत्रित किए गए। इस शोध पत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम से लाभान्वित बालकों का यथार्थ, प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का यथार्थ, प्राथमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण, विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास योजना का यथार्थ, निजी पड़ोसी विद्यालयों का यथार्थ, निःशुल्क का यथार्थ, विद्यालय दूरी का यथार्थ, मूल्यांकन (नो डिटेन्शन पॉलिसी) प्रणाली का यथार्थ तथा शिक्षा के अधिकार कानून में व्याप्त विरोधाभास एवं संशोधन की आवश्यकता पर कुछ सुझावों से परिचय कराया गया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम से लाभान्वित बालकों का यथार्थ

शिक्षा के अधिकार कानून के द्वारा समाज का कौन-सा वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित है, इसके यथार्थ को जानने के लिए प्रतापगढ़ जनपद के सदर ब्लॉक के कुछ गाँवों का चयन विभिन्न जाति वर्ग की जनसंख्या बाहुल्यता के आधार पर किया गया। चयनित गाँवों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अवलोकन आर.टी.ई.एक्ट, 2009 में वर्णित कुछ बिंदुओं, जैसे— विद्यार्थी पंजीकरण संख्या, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, कक्षों, अतिरिक्त कक्षों की संख्या, विद्यालय प्रबंध समिति, पेयजल, शौचालय (बालक/बालिका) व्यवस्था के अतिरिक्त मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनीफ़ॉर्म वितरण आदि को लेकर किया गया। अवलोकन के दौरान नामांकित विद्यार्थियों के वर्ग विशेष को

* *सहायक आचार्य*, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मीर्ज़ापुर 231 001

जानने का प्रयास किया गया और चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राथमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के कारणों को लेकर विस्तृत वार्ता की गई तथा उनके द्वारा बताए गए कारण एवं सुझाव इस प्रकार हैं।

चयनित प्रथम प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर लोहिया, ग्राम—बहलोलपुर, जनपद—प्रतापगढ़ में दो सहायक अध्यापक व एक प्रधानाध्यापक 80 छात्रों के सापेक्ष सेवारत थे। विद्यालय में सामान्य जाति के दो तथा अन्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी थे। विद्यालय में एक शौचालय, दो बाथरूम व एक हैंडपंप था। एक अतिरिक्त कक्ष निर्मित था। प्रधानाध्यापक द्वारा गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता का कारण जानने पर उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को मात्र गरीब, मज़दूर, श्रमिक वर्ग के लोगों की मजबूरियों ने जीवित रखा है। वर्तमान में नियुक्त अधिकांश अध्यापक वांछित योग्यता से उच्च शिक्षाधारी हैं, अतः बेरोज़गारी को देखते हुए मजबूरी में वे नौकरी करते हैं। अतः शिक्षक एवं विद्यार्थी, दोनो को मजबूरी खींचकर विद्यालय में लाई है, ऐसे में गुणवत्ता की आशा कैसे कर सकते हैं? पुनः उनके द्वारा विद्यालय में कम उपस्थिति का कारण विद्याथियों का फ़सल कटाई, घरेलू कार्यों, मज़दूरी आदि में लगे रहना बताया गया तथा एक कारण प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का प्राथमिक शिक्षक संघ बनाकर नेतागिरी करने और शिक्षण अधिगम में कम रुचि रखने की प्रवृत्ति को भी बताया गया।

उनका मानना था कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक पक्ष हैं, परंतु इसके क्रियान्वयन में विद्यालय का एक शिक्षक सब्ज़ी, गैस, मसाला, फल, दूध खरीदने तथा प्रतिदिन खिलाने का हिसाब लगाने में व्यस्त रहकर अध्यापक वृत्ति से दूर हो जाता है और यह स्थिति विद्यार्थियों की एकाग्रता को बाधित करती है। उन्होंने पर्यवेक्षण कार्य को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा कराने और सरकारी पदों पर कार्यरत अभिभावकों के बच्चों का प्रवेश मात्र सरकारी पाठशालाओं में कराने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले गैर-शैक्षणिक कार्यों को कम करवाने पर भी बल दिया।

चयनित द्वितीय विद्यालय लोहिया ग्राम बहलोलपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय था। जहाँ विद्यार्थी पंजीकृत संख्या 35 पर तीन महिला और तीन पुरुष शिक्षक नियुक्त थे। पुरुष शिक्षकों में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी.एस.ए.) कार्यालय व दो खंड/प्रखंड संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.) पर संलग्न थे। दो शौचालय (बालक/बालिका), एक बाथरूम व हैंडपंप खराब स्थिति में था। दो अतिरिक्त कक्ष जर्जर स्थिति में थे। प्रधानाध्यापिका नसीम फातिमा जी ने मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने पर ज़ोर दिया, वे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन से परेशान दिखीं। उनका कहना था कि कार्यक्रम द्वारा सरकार हमसे चोरी करने को कहती है और हम करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में कुल नामांकित विद्यार्थी पैंतीस हैं, जिनमें से प्रतिदिन पच्चीस ही आते हैं, यदि हम विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या रजिस्टर पर चढ़ाएँ तो विद्यालय बंद हो जाएगा व शिक्षक हटा दिए जाएँगे और कागज़ पर हम फँसेंगे। अतः लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में संख्या बढ़ाकर भेजी

जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के स्थान पर उन्होंने विद्यार्थियों के निर्धारित बैंक एकाउंट में धन डालने का सुझाव दिया। उन्होंने केवल सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को ही सरकारी योजनाओं की सुविधा दिए जाने पर बल दिया। प्रधानाध्यापिका से लोहिया ग्राम होने के फ़ायदे पूछने पर उन्होंने कहा कि विद्यालय को कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिला है, हाँ सड़कें अवश्य बन गई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के औचक पर्यवेक्षण के डर से शिक्षक विद्यालय समय से आते-जाते हैं।

द्वितीय गाँव विक्रमपुर, विधानसभा क्षेत्र–सदर—प्रतापगढ़ से दो प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया। प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर में एक प्रधानाध्यापक एवं कुल चार शिक्षक-शिक्षिकाएँ, विद्यार्थी संख्या साठ के सापेक्ष नियुक्त थे। अधिकांश विद्यार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) व अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। प्राथमिक विद्यालय बड़ाकापुरवा (विक्रमपुर) में दो शिक्षक, एक शिक्षिका, एक प्रधानाध्यापिका पंजीकृत विद्यार्थी संख्या उन्तालिस के सापेक्ष सेवारत थे। विद्यालय में 20 से 25 विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। उच्च प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर में कुल चार शिक्षिकाएँ, नामांकित विद्यार्थी संख्या 31 के सापेक्ष सेवारत थीं। दोनो ही विद्यालय सड़क किनारे थे। अतः शिक्षिकाओं की संख्या विद्यार्थी संख्या के अनुपात में अधिक थी। विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्ष, दो शौचालय व एक हैंडपंप था। अतिरिक्त कक्ष में आँगनवाड़ी केंद्र संचालित था। प्राथमिक विद्यालय बड़ाकापुरवा के प्रधानाध्यापक के द्वारा मुफ़्त शिक्षा पर अभिभावकों का कम भरोसा, अंग्रेज़ी माध्यम न होने, सीधे कक्षा एक में विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित कारणों पर बल दिया गया। उनका सुझाव था कि यदि प्राथमिक विद्यालयों में अन्य निजी विद्यालयों की भाँति पूर्व प्राथमिक विद्यालय (प्ले ग्रुप) शिक्षा को भी जोड़ दिया जाए तो सरकारी विद्यालयों की नामांकन एवं शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और शिक्षिकाओं ने एक स्वर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को केवल कक्षा एक से पाँच तक लागू करने पर बल दिया। वहाँ की एक शिक्षिका ने सुझाव दिया कि सरकार को प्रत्येक गाँव में मध्याह्न भोजन योजना केंद्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खोल देना चाहिए, जिससे बच्चों कि भोजन और शिक्षा, दोनों प्राथमिक आवश्यकताएँ, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो सकें।

तृतीय गाँव ज़िला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा चयनित आदर्श गाँव बड़नपुर चयनित किया गया। जहाँ के प्राथमिक विद्यालय बड़नपुर में नामांकित विद्यार्थी संख्या 63 पर छह अध्यापिकाएँ कार्यरत थीं। सड़क किनारे विद्यालय होने के कारण शिक्षिकाओं की संख्या बहुत अधिक थी। विद्यालय में चहार दीवारी, चार शौचालय, पेयजल हेतु नल, चार अतिरिक्त कक्ष, उत्तम बैठक व्यवस्था एवं भौतिक संसाधन श्यामपट्ट आदि उपलब्ध थे। प्रधानाध्यापिका से पूछने पर कि आपके विद्यालय में भौतिक संसाधन और शिक्षिकाओं की कोई कमी नहीं, फिर भी गाँव

के अधिकांश विद्यार्थी निजी विद्यालयों में क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा, हम भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर जिस अभिभावक के पास फ़ीस देने भर का पैसा है, वह प्राथमिक विद्यालयों के माहौल को खराब मानकर, अपने बच्चों को यहाँ भेजना अपमान समझते हैं। उनका मानना है कि पैसा देने पर ही सही शिक्षा मिलती है। नामांकित विद्यार्थियों में सभी अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग एवं बी.पी.एल. परिवार के थे। प्रधानाध्यापिका ने शिक्षकों की शिक्षण प्रतिबद्धता में आई कमी को शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के लिए ज़िम्मेदार बताया।

चतुर्थ गाँव आर्थिक रूप से मध्यम एवं अधिक जनसंख्या वाला ग्राम कमईपुर चयनित किया गया। प्राथमिक विद्यालय कमईपुर में प्रभारी सहायक अध्यापिका, एक प्रशिक्षु-अध्यापक एवं एक शिक्षामित्र, नामांकित विद्यार्थी संख्या 56 पर सेवारत थे। हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा था। दो शौचालय, दो अतिरिक्त कक्ष थे। विद्यार्थियों के बैठने हेतु चटाई थी। विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवारों से थे। ग्रामवासियों का प्राथमिक विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक लगा। वे मानते हैं कि 4 रुपये 75 पैसे का प्रति विद्यार्थी भोजन व शुल्क विहीन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी नामांकित थे, जो प्राथमिक विद्यालय में तो नामांकित थे, परंतु निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। कारण पूछने पर पता लगा कि ये बालक कक्षा पाँच के बाद ग्रामीण क्षेत्र से नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं। अतः ग्रामीणों की नकारात्मकता केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयो से थी, जबकि वे नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी विद्यालयों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे।

पंचम गाँव मुस्लिम बाहुल्य कटरा मेदनीगंज, विधानसभा क्षेत्र—सदर, जनपद—प्रतापगढ़ से प्राथमिक विद्यालय कटरा में नामांकित विद्यार्थी संख्या 50 के सापेक्ष चार शिक्षक सेवारत थे। मुस्लिम बाहुल्य होते हुए भी मुस्लिम विद्यार्थियों का अनुपात कम था। मुस्लिम अभिभावकों को मदरसों पर अधिक विश्वास था। विद्यालय में मुस्लिम लड़कियाँ (बड़ी उम्र 11–14 वर्ष) मात्र पाँच थीं। वे घरेलू कार्यों, सिलाई एवं साड़ी बुनने में प्रायः व्यस्त रहती थीं। विद्यालय में दो शौचालय (बालक/बालिका) एक हैंडपंप और दो अतिरिक्त कक्ष थे। बैठक व्यवस्था हेतु चटाई और दरियाँ थीं। प्रधानाध्यापक द्वारा गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के कारणों पर उपरोक्त अन्य के भाँति ही प्रकाश डाला गया।

इस प्रकार, लाभान्वित बालकों की दृष्टि से देखें, तो इस आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के लागू होने से अनुसूचित जाति-जनजाति, गरीब, बी.पी.एल. कार्ड धारी एवं कुछ पिछड़ी जाति के बालक-बालिकाओं को सर्वाधिक लाभ हुआ है। वहीं ये विद्यालय समावेशी समाज की सकंल्पना से दूर गरीबों के विद्यालय के रूप में संरचित हुए हैं। संपन्न एवं अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों को इस एक्ट ने कम आकर्षित किया है। अवलोकन से विद्यालयों में चहारदीवारी एवं खेल के मैदान की महती आवश्यकता परिलक्षित हुई।

प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का यथार्थ

शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के संदर्भ में शिक्षा आयोग (1964–66) की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "सभी प्राथमिक विद्यालयों का न्यूनतम निर्धारित स्तर तक सुधार करना प्रथम कार्य है।" शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी कोठारी आयोग के सुझावों को स्वीकार किया गया है। निस्संदेह आर.टी.ई.एक्ट, 2009 के लागू होने के बाद प्राथमिक शिक्षा में नामांकन 92 प्रतिशत (2005) से बढ़कर 96 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, परंतु "*असर*" (शिक्षा के स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट—2014) की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के आधे बच्चे सामान्य स्तर से तीन कक्षा निचले स्तर की शैक्षणिक गुणवत्ता रखते हैं।

यहाँ शैक्षणिक गुणवत्ता से तात्पर्य बच्चों की हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा की पुस्तक के पठन-पाठन, गणित की संक्रियाओं को हल करने एवं लेखन से संबंधित उपलब्धियों से है। शैक्षणिक गुणवत्ता का शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद के तुलनात्मक अध्ययन हेतु *असर* (गैर-सरकारी संगठन) द्वारा सत्र—2008, 2009, 2010 और 2011 के अध्ययनरत विद्यार्थियों का क्रमशः अगली तीनों कक्षाओं तक शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि सत्र 2008 के नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि शेष सत्र के विद्यार्थियों से अच्छी थी। ज़िला स्तर की शिक्षा हेतु सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा दो के विद्यार्थियों को पढ़ना, लिखना और 100 तक की संख्याओं की बुनयादी संक्रियाएँ आनी चाहिए। जबकि *असर* की रिपोर्ट के अनुसार सत्र 2010 में 13.4 प्रतिशत, 2012 में 24.8 प्रतिशत, 2013 में 28.5 प्रतिशत, 2014 में 32.5 प्रतिशत बच्चे अक्षर नहीं पहचान पा रहे थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद अक्षर न पहचान पाने के क्रम में क्रमशः बढ़ोतरी हुई है। गणित की शैक्षणिक गुणवत्ता के संदर्भ में *असर* ने कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों पर किए गए सर्वे में पाया कि क्रमशः 32.2 प्रतिशत, 37.8 प्रतिशत, 44.2 प्रतिशत ही भाग संक्रियाओं में सक्षम थे, जबकि आठ वर्षीय स्कूल शिक्षण प्रणाली पूर्ण करने के बाद 100 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाग संक्रिया हल कर लेना न्यूनतम निर्धारित मानदंड के अंतर्गत आता है। जबकि 50 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी इसे प्राप्त कर पा रहे हैं। अतः प्रश्न यह है कि क्या ये विद्यार्थी अगली कक्षाओं के सामान्य गणित संक्रियाओं को समझ सकेंगे?

अंग्रेज़ी विषय को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से ही पढ़ाया जाता है। अतः अंग्रेज़ी शब्दों, वाक्यों को पढ़ने एवं उनके अर्थ को समझने को लेकर *असर* द्वारा किए गए सर्वे से ज्ञात हुआ कि कक्षा 6 से 8 तक केवल 69 प्रतिशत बच्चे किताब पढ़ने में सक्षम हैं, 20 प्रतिशत बच्चे अक्षर पहचानते हैं, वहीं 14 प्रतिशत शब्दों को पढ़ लेते हैं, परंतु लंबे वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं, 19 प्रतिशत वाक्य पढ़ते हैं, तो लंबे पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। इस प्रकार, ये आँकड़े गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के यथार्थ की विवेचना करते हैं। डाइस (2013–14) की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कक्षा 3 के आठ करोड़ बच्चे हैं, जो सरकारी

विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, इनकी शैक्षिक गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वे बुनियादी क्षमताओं को हासिल कर सकें। यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद कुछ राज्यों, जैसे—महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में प्राथमिक शिक्षा में संतोषजनक सुधार भी आए हैं। (*असर* रिपोर्ट 2013–14)

प्राथमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण

प्राथमिक विद्यालयों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के विभिन्न कारण हैं, जिनमें से कुछ शिक्षक समुदाय से, कुछ अभिभावकों से और कुछ सरकार के ढुलमुल रवैये तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कमज़ोर क्रियान्वयन पक्ष से जुड़े हैं। अवलोकन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कारण ज्ञात हुए, जैसे—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ज़िम्मेदार अनुभवी प्रधानाध्यापकों का अभाव है। प्रायः विद्यालय आपसी तालमेल के द्वारा समतुल्य सहायक अध्यापकों के प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्यभार ग्रहण करने से चलता रहता है। अतः विद्यालयों में अध्यापक अनुपस्थिति की दर प्रायः बढ़ जाती है। दो शिक्षकीय विद्यालय एक शिक्षक की अनुपस्थिति में एकल विद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। उपस्थित अध्यापक सजगता से विद्यालय खोलकर मध्याह्न भोजन को यथावत चलाकर पुनः समय से विद्यालय बंद कर देता है। विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता से शिक्षक का कोई लेना-देना नहीं होता है। विद्यालयों में इस प्रकार की खानापूर्ति को राकने के लिए कुशल, अनुभवी, परिश्रमी प्रधानाध्यापक का होना आवश्यक है।

प्राथमिक स्तर पर ज़िम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण केंद्र से राज्य, राज्य से ज़िला व ज़िला से खंड/प्रखंड संसाधन स्तर एवं न्याय पंचायत संसाधन स्तर और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों तक किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ज़िले में ज़िला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु ये सभी पर्यवेक्षक सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, निःशुल्क पुस्तक वितरण, ड्रेस वितरण, भवन, चहारदीवारी, शौचालय, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, विद्यालयों की रंगाई-पुताई, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जनगणना, मतगणना, बूथ स्तर के अधिकारी के रूप में (बी.एल.ओ.) कार्य, टीकाकरण, आदिवासी जनजाति विद्यालयों के संचालन आदि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतः इन सभी योजनाओं के बीच शैक्षणिक गुणवत्ता का अहम कार्य प्रभावित होता है।

अवलोकन के दौरान चर्चा करने पर पता चला कि प्राथमिक स्तर पर कोई भी स्थानीय नेता अपने प्रभाव को दिखाकर अपने नज़दीकी शिक्षक नेताओं को मनपसंद विद्यालय से संबद्ध करवा देते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी धन अर्जन की दृष्टि रखते हुए शिक्षकों के मन मुताबिक स्थानांतरण एवं संबद्धीकरण करते हैं, जिससे विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात बिगड़ता है। परिणामतः शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है।

शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने के बाद निस्संदेह भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य बहुत तीव्रता से किया गया है। इसके पीछे कारण है कि शिक्षकों ने शिक्षण के स्थान पर ठेकेदारी में अच्छी रुचि दिखाई है, क्योंकि इससे कुछ अतिरिक्त धन कमाया जा सकता है।

शैक्षिक गुणवत्ता गिरने का एक और कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष संख्या में कमी होना है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ ज़िले में प्रति 108 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 35 उच्च प्राथमिक शालाएँ हैं, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं (कक्षा 9 से 12 तक) का अनुपात न्यून है। प्रतापगढ़ ज़िले के सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश ग्रामीण सरकारी उच्चतर माध्यमिक शालाओं में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों की कमी है, इस कारण ग्रामीण विद्यार्थी विज्ञान विषय नहीं पढ़ पाते हैं तथा कोचिंग की धारणा को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार सरकारी योजनाओं और शिक्षा के अधिकार कानून का यथार्थतः क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, गुणवत्ता के आँकड़े कागज़ों पर दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार से उम्मीद है, कि वह दृढ इच्छाशक्ति दिखाते हुए प्राथमिक शिक्षा में बढ़ रही घूसखोरी को नियंत्रित करने का प्रयास करे, जिससे योजनाओं का सही एवं धरातलीय क्रियान्वयन हो सके।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय विकास योजना का यथार्थ

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में भाग 2 में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं कर्त्तव्य का विवरण है। *असर* के आँकड़ों के अनुसार, यह समिति विद्यालयों में अभिलेख स्वरूप है। जिसमें गाँव के कुछ लोग और अभिभावकों के नाम कुल 15 की संख्या में दर्ज किए गए हैं। विद्यालय प्रबंध समिति (एस.एम.सी.) बैठकें विद्यालय में कम होती हैं। 74.3 प्रतिशत बैठक जुलाई-सितम्बर के बीच हुई हैं। बैठकों में उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत मात्र 13 है। विद्यालय प्रबंध समिति के संचालन का यथार्थ जानने के लिए प्रतापगढ़ ज़िले के सदर ब्लॉक के सात प्राथमिक विद्यालयों को चयनित कर वहाँ के विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा स्वनिर्मित विद्यालय प्रबंध अधिकार व जागरूकता प्रश्नावली को भरवाया गया। आसानी से उपलब्ध 20 अभिभावकों का साक्षात्कार भी लिया गया। इससे ज्ञात हुआ कि 90 प्रतिशत विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, अभिभावकों को इसके कर्त्तव्य तथा अधिकारों की जानकारी नहीं है। केवल 20 प्रतिशत जागरूक अभिभावकों ने विद्यालय से जुड़ी समस्याओं, जैसे— चहारदीवारी, स्वच्छ पेयजल, बैठक व्यवस्था आदि पर अपना विचार दिया। कुछ अभिभावकों द्वारा बैठक से संबंधित प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि जुलाई माह में प्रवेश कराने आए थे, तब मास्टर साहब ने हस्ताक्षर करवाए थे। प्रधानाध्यापिका तथा अध्यापकों द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित कोई भी जानकारी पूर्व में नहीं दी गई थी।

इस प्रकार, चाहे विद्यालय में प्रबंध, ग्राम शिक्षा या अन्य और कोई नवीन समिति भी बन जाए, जब तक उसके प्रति जागरूकता स्तर एवं उसके क्रियान्वयन पक्ष को मज़बूती से लागू नहीं किया

जाएगा—शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। विद्यालय विकास योजना के यथार्थ को जानने के लिए *असर* के आँकड़ों का सहारा लिया गया है। *असर* (2013–14) की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19 प्रतिशत विद्यालयों ने विद्यालय विकास योजना बनाने की बात स्वीकार की, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाए, जबकि 42.3 प्रतिशत में विद्यालयों में विकास योजना का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध था। वहीं 38.8 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना से संबंधित दस्तावेज़ निर्मित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय विकास योजना मात्र सिद्धांत बन कर रह गए हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित निजी पड़ोसी विद्यालयों का यथार्थ

तुलनात्मक रूप से भारत व अन्य देशों, जैसे—जी-8 व कनाडा आदि देशों के पड़ोसी विद्यालय सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि इन देशों में पड़ोसी विद्यालय वह विद्यालय है, जिसका अपना पड़ोसी होता है और वहाँ की सरकार द्वारा इस पड़ोसी विद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत चाहे जिस वर्ग (वंचित, गरीब, अमीर, सांसद, विधायक, मज़दूर, किसान) का बालक हो, वह उसी क्षेत्र वाले विद्यालय में शिक्षा पाने का हकदार होता है। उन विद्यालयों की ज़िम्मेदारी है कि बिना छटाई, जाँच-सवाल के वह उन बालकों को प्रवेश दें व मुफ्त शिक्षा दें। इस प्रकार, वहाँ के पड़ोसी विद्यालय यहाँ के पड़ोसी निजी विद्यालय की तुलना में समावेशी समाज के लक्ष्य को सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के अंतर्गत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः नियोजनकर्ताओं व सरकार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निहित पड़ोसी विद्यालय संप्रत्यय को व्यापकता देकर, निजी विद्यालयों को नियंत्रित कर, सरकारी विद्यालयों की शैक्षिक दुर्गति को रोकने एवं बढ़ते बाज़ारीकरण पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित निःशुल्क का यथार्थ

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित निःशुल्क का तात्पर्य निजी विद्यालय ट्यूशन फ़ीस माफ़ करने के रूप में लेते हैं। वहाँ पढ़ रहे 25 प्रतिशत वांछित वर्ग के बालकों से अन्य मदों, जैसे—परीक्षा, परिवहन, खेलकूद, रेडक्रॉस, स्काउटिंग एवं विकास के नाम पर फ़ीस ली जाती है। इस तरह प्रत्येक तीसरे माह ये बच्चे 300–400 रु. तक विद्यालय में फ़ीस जमा करते हैं, जो सामान्यतया उनकी पहुँच से ज़्यादा होता है। इस प्रकार अधिनियम में वर्णित निःशुल्क की अवधारणा को व्यापक बनाते हुए, मुफ़्त शिक्षा देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित विद्यालय दूरी का यथार्थ एवं सुझाव

कुछ राज्यों, जैसे—दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब इत्यादि में बालकों को बस या अन्य परिवहन साधन से क्रमशः 12.5 किमी., 5 किमी., 7 किमी., 7.5 किमी. की दूरी विद्यालय पहुँचने में तय करनी पड़ती है, वहीं अधिनियम के भाग 4 के छठवे बिंदु में विद्यालय दूरी प्राथमिक व उच्च प्राथामिक विद्यालयों के संदर्भ में क्रमशः 1 व 3 किलोमीटर तय की गई है। अधिनियम के लागू होने के प्रारंभिक

दशक में इस मानक को प्राप्त करना कठिन है, अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों को परिवहन व्यवस्था देकर विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट रेट) तथा विषयवार शिक्षण-अधिगम की आवश्यकता, नामांकन दर एवं शैक्षिक गुणवत्ता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नवीन विद्यालयों की स्थापना से पूर्व विद्यालय के स्थान की जाँच की महती आवश्यकता है।

विद्यालय संरचना से संबंधित सुझाव

निजी विद्यालयों की विद्यालयी संरचना इस प्रकार की होती है कि कक्षा 1 से 8 या 12 तक के विद्यार्थी एक ही विद्यालय में अध्ययन करते हैं, परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का विद्यालयों के अध्यापकों व अन्य विद्यार्थियों से संबंध मज़बूत होता है। जबकि सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थी को 1 से 12 तक की शिक्षा पूरी करने में लगभग तीन विद्यालयों में प्रवेश लेना होता है। परिणामतः विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट रेट) संभावना बढ़ जाती है। अतः भविष्य में उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को एक चहारदीवारी के अंदर संरचित करने की आवश्यकता है जिससे अनुभवी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं पेयजल की व्यवस्था की कमी से निपटा जा सके।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित मूल्यांकन (नो डिटेन्शन पॉलिसी) प्रणाली का यथार्थ एवं सुझाव

भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली बालकों की परीक्षा, जाँच-परख, मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली पर निर्भर थी। बदलते समय के साथ सतत एवं समग्र मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाना निश्चित रूप से सकरात्मक कदम है। क्योंकि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एवं समग्र व्यक्तित्व निर्मित होता है। परंतु सतत एवं समग्र मूल्यांकन के तहत नो डिटेन्शन पॉलिसी कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों की बोर्ड की कोई परीक्षा न लेना (आर. टी.ई.एक्ट, 2009 की धारा 30 (1) के अनुसार), बोर्ड परीक्षाओं का समाप्त करना, शिक्षकों को नो डिटेन्शन पॉलिसी के संदर्भ में प्रशिक्षण न दे पाना आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद-गिरती हुई शैक्षणिक गुणवत्ता का कारण बन गए हैं।

शिक्षा के अधिकार कानून में व्याप्त विरोधाभास एवं संशोधन की आवश्यकता

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद विभिन्न विद्वान, शिक्षाविदों के मतमतान्तर को पढ़ने और सुनने के बाद, कानून के प्रति समझ विकसित हो जाने पर कुछ बिंदुओं में विरोधाभास परिलक्षित होता है, जैसे—अधिनियम की धारा चार में प्रवेश की उम्र के संबंध में कहा गया है कि जिन बालकों ने पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ाई पूरी नहीं की है, यदि वे 6 वर्ष की आयु के ऊपर विद्यालय में प्रवेश लेने आते हैं, तो उनको उनकी उम्र अनुसार कक्षा में प्रवेशित किया जाए, द्वितीय, विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, तृतीय, 14 वर्ष के बाद भी इन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा। शाला में प्रवेशित किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण न करने का प्रावधान है। धारा 30 (1) में बोर्ड परीक्षा से

मुक्ति व धारा 30 (2) में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बालकों को निर्धारित रीति के प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। इन सभी प्रावधानों को यदि एक ही शाला, जिसमें दो शिक्षक, दो बड़ी कक्षा एवं एक बरामदा है, उसमें लागू किया जाए तो, बहुकक्षीय और बहुस्तरीय अधिगम प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता होती है, जो व्यावहारिक रूप से ऐसे विद्यालयों में संभव ही नहीं है। इस प्रकार, वर्णित प्रावधानों को यदि लागू भी किया जाए तो आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के शुरुआती वर्षों में शिक्षकों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, जैसे— प्रथमतः वह वांछित बच्चों को चिन्हित करे, विद्यालय लाए, उन्हें उम्र अनुसार कक्षा में प्रवेश दे, विशेष प्रशिक्षण दे, परंतु इन सब के दौरान वह उन्हें अनुशासनहीनता पर दंडित नहीं कर सकता है, न फ़ेल कर सकता है। अतः जहाँ शिक्षक की स्वायत्ता पर नियंत्रण है, वहीं उस पर अतिरिक्त शिक्षण बोझ भी दिखाई देता है।

2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सामाजिक आधार समावेशी समाज को निर्मित करना है परंतु अधिनियम में वर्णित कई नियम विभिन्न विद्यालयों, जैसे—सरकारी, अनुदान प्राप्त, विशेष श्रेणी स्कूल, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तदुपरांत शैक्षिक भेदभाव एवं विषमता उत्पन्न होती है। प्रायः धनाड्य लोगों के बच्चों के प्रवेश हेतु चयनित विद्यालय को वर्तमान समय में एक प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं, वे नहीं चाहते कि जहाँ उनकी बाई, चपरासी, ड्राइवर का बच्चा पढ़े, वहाँ उनका बच्चा भी अध्ययनरत हो। इसी परिप्रेक्ष्य मे यर्थाथ स्थिति को जानने के लिए डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी-शिक्षकों के 14 दिवसीय इंटर्नशिप के दौरान मिर्ज़ापुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज, बी.एल.जे. इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक आधार जानने से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सभी विद्यालयों के 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के पिता किसान, मज़दूर, दर्ज़ी, मोची, ठेला लगाने, पंचर जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सभी विद्यार्थी बी.पी.एल. परिवारों से थे। अवलोकन द्वारा यह भी परिलक्षित हुआ कि सरकारी विद्यालायों में पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य या चपरासी का भी बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। *असर* के आकड़ों में भी अधिनियम के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों में विद्यार्थी नामांकन बढ़ने के तथ्य दिए गए हैं उदाहरणतया, 2006 में जहाँ 32.2 प्रतिशत विद्यार्थी नामांकित थे, वहीं 2014 में यह प्रतिशत 45.8 है।

अधिनियम में 6 से 14 वर्ष आयु को निर्धारित किया गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन को आधार मानते हुए 18 वर्ष को बाल्य उम्र के मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में

Chapter 5.indd 64 7/3/2018 11:42:50 AM

भी 0–6 आयु वर्ग को जोड़ा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 1993 उन्नीकृष्णन फ़ैसले ने भी इसे पुष्ट किया है। अतः प्राथमिक शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक को माध्यमिक शिक्षा में संयोजित करते हुए उम्र परिधि को बढ़ाने की महती आवश्यकता है।

3. शिक्षा के अधिकार कानून में शाला, शिक्षण विधि, सीखने का मूल्यांकन सभी की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है, परंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अतंराल दिखाई देता है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक एकल शिक्षक विद्यालय में सीखना-सिखाना गतिविधि, अन्वेषण विधि आदि से कर पाना मात्र परिकल्पना है।
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं को शिथिलीकरण करते हुए 23 (2)वें बिंदु पर पाँच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करने के लिए अध्यापक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करने की बात कही गई है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पैरा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अनुदेशक आदि को ज़िला स्तर पर नियुक्ति दी जाती है, जिससे शिक्षक पद की जवाबदेही घट गई है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की स्थायीकरण एवं उनकी शैक्षिक योग्यता का मुद्दा न्यायालय में लंबित भी है। राज्य सरकारों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) जैसी परीक्षा को पास करने का नियम एक सुधारात्मक कदम है, फिर भी पारदर्शिता और उच्च शिक्षक प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। इसके लिए ज़िला शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक-प्रशिक्षकों की त्वरित नियुक्ति की आवश्यकता है।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 29 (1) व (2) के अकादमिक प्राधिकारी उपधारा (1) में उल्लेखित पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के निर्माण में वर्णित कुछ बिंदु, जैसे—शिक्षा से बालक का सर्वांगीण विकास, बालक की ज्ञान क्षमताओं, प्रतिभा का संपूर्ण विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का संपूर्ण विकास केवल लाइनों को बढ़ाना है। ये दोहराव शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति समझ व स्पष्टता को कम करते हैं।
6. शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के सफल क्रियान्वयन हेतु अफ़सरशाही नियत्रंणों को प्रतिस्थापित कर समान, गुणवत्तापरक स्कूल पद्धति को लागू करने की आवश्यकता है, जो निस्संदेह दुष्प्राप्य तो है, परंतु सभंव नहीं है। इससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन तो होगा, किंतु समानता और समावेशी समाज की संकल्पना सच हो सकेगी। इससे स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ते कोचिंग संस्थानों, विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश भी लगेगा। इसका फ़ायदा उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में होगा, क्योंकि यदि सभी विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम समान वातावरण, समान माध्यम लागू होगा, तो उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाएँ स्वतः ही अंतर्ग्रहण क्षमता की जाँच पर आधारित होगीं न कि ज्ञान की मात्रा को जाँचने वाली। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा।

संदर्भ

असर. 2014. *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशनल रिपोर्ट*. असर, नयी दिल्ली.

कुमार, कृष्ण. 2009. शिक्षा का अधिकार कानून (इंटरव्यू). *शिक्षा विमर्श*. नवंबर-दिसंबर विशेषांक, पृ. 17–16. जयपुर.

जैन, पंकज एस. और रवीन्द्र एच. ढोलकिया. 2009. शिक्षा के अधिकार विधेयक को अमल में लाने की संभाव्यता या व्यवहार्यता. *इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. भाग 11, अंक-25 जून, पृ. 38–43. मुंबई.

डाइस. 2013. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया–रिपोर्ट. न्यूपा, नयी दिल्ली.

धनकर, रोहित. 2014. शिक्षा दर्शन ज़रूरत और अर्थ. *शिक्षा विमर्श*. विशेषांक मई-जून, पृ. 24–29. जयपुर.

भारत का राजपत्र. 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009.' संख्या-39, अगस्त 27, 2009, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रैना, विनोद. 2009. शिक्षा का अधिकार कानून कोठारी आयोग के समान स्कूल के सिद्धांत से तुलना. *शिक्षा विमर्श*. नवंबर-दिसंबर विशेषांक, पृ. 8–16. जयपुर.

सद्गोपाल, अनिल. 2009. शिक्षा का अधिकार कानून—नव उदारवाद का नया चेहरा. *शिक्षा विमर्श*. नवंबर-दिसंबर विशेषांक, पृ. 49–61. जयपुर.

सारंगपाणि, एम. पद्मा. 2009. कम लागत की निजी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, व्यावहारिकता और वांछनीयता. *शिक्षा विमर्श*. नवंबर-दिसंबर विशेषांक पृ. 40–43. जयपुर.

www.dise.in